

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली-2013 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय संवर्ग हेतु आरक्षित कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु निम्न योग्यता निर्धारित की गयी है।

SI No.	Category Posts	Method of Recruitment
1	Junior Assistant Category C Pay Scale 5200-20200 Grade pay 2000/-	(b) Twenty percent by promotion from amongst Group "D" employees on the basis of seniority subject to rejection of the unfit with minimum of five years substantive and satisfactory service having Qualification up to high School: Provided that the post of Amin Grade-II Shall be filled only by the direct recruitment.

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत हेतु आरक्षित किये गये पदों में से पदोन्नति हेतु वर्तमान में कुल 08 पद रिक्त है।

नोट- उपरोक्त रिक्तियों DCEP PORTAL के अपडेट होने के फलस्वरूप पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं।

उपरोक्त 08 पदों पर पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली-2013 के शेड्यूल-बी में क्रम संख्या-5 के अनुसार नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिनकी 5 वर्ष की लगातार व संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है, चतुर्थ संवर्ग से तृतीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे तथा जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त कम्प्यूटर के ज्ञान के लिए डोयक सोसाइटी (नाइलेट) द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र प्राप्त है, उपरोक्त पदोन्नति के लिए वरीयता की श्रेणी में रखे जायेंगे।

उपरोक्त रिक्तियों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली-2013 में वर्णन किया गया है कि Twenty percent by promotion from amongst Group "D" employees on the basis of seniority subject to rejection of the unfit with minimum of five years substantive and satisfactory service के अनुक्रम में अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को हटाते हुए वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जानी है, जिसके फलस्वरूप अनुपयुक्त अभ्यर्थियों की छंटनी किये जाने हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

उपरोक्त साक्षात्कार प्रक्रिया से पूर्व प्रस्तुत आवेदन पत्रों की छंटनी उनके 5 वर्ष की लगातार व संतोषजनक सेवा एवं उनकी चरित्र पंजीका की वार्षिक प्रविष्टियों को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी तथा जिन अभ्यर्थियों की सेवा संतोषजनक पाई जायेगी, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

चयन अंको का विवरण निम्नवत होगा:-

(क) साक्षात्कार	40 अंक
(ख) चरित्र पंजी	10 अंक
कुल	50 अंक

पदोन्नति के लिए विगत पाँच वर्षों की चरित्र पंजी का निर्धारण निम्नवत होगा:-

उत्कृष्ट (Out Standing)	02 अंक
अतिउत्तम (Very Good)	02 अंक
उत्तम (Good)	01 अंक
सामान्य (Average)	शून्य
खराब (Poor)	शून्य

उपरोक्त कुल 08 रिक्तियों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली-2013 के अनुक्रम में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता के अनुसार ऐसे सभी चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारीगण जिनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास है तथा उनके द्वारा पॉच वर्ष की लगातार व संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, के आवेदन आहूत किये जाते हैं।

अतः सभी योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपना-2 आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर दिनांक 07.05.2026 की अपरान्ह 1:00 बजे तक नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करें। तदोपरान्त साक्षात्कार दिनांक 12.05.2026 को अपरान्ह 1:00 बजे से आयोजित किया जायेगा।

नोट- आवेदन प्रारूप नजारत अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।
दिनांक 01.05.2026


अध्यक्ष,
चयन समिति/
जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि:-

- 1- केन्द्रीय नाजिर, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि वे समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के मध्य परिचालित करायें।
- 2- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की जावे कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, फिरोजाबाद की वेबसाईट पर उपलोड करायें।
- 3- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद एवं समस्त ग्राम न्यायालय।